भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या2615 :

उत्तर देने की तारीख :16.12202.5

नमस्ते योजना के अंतर्गत किया गया राष्ट्रीय सर्वेक्षण

2615. श्री बलराम नाइक पोरिका:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नमस्ते योजना के अंतर्गत नवंबर 2025 तक किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से पूरे देश में चिह्नित किए गए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) सफाई कार्यों के दौरान 2019 से कितने सीवर/सेप्टिक टैंक कामगारों की मृत्यु की जानकारी मिली है और इसके लिए दिया गया प्रतिकर कितना है;

(ग) सीवर/सेप्टिक टैंकों में व्यक्तिगत तौर पर घुस कर सफाई करने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने और सफाई कार्यों का शत-प्रतिशत मशीनीकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(घ) नमस्ते योजना के अंतर्गत हाथ से मैला उठाने वाले कितने लोगों को चिह्नित किया गया जिन्हें पुनर्वास सहायता, कौशल प्रशिक्षण और स्व-रोजगार ऋण प्रदान किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का और अधिक कठोर शास्तियाँ लगाने और इसके समयबद्ध उन्मूलन के लिए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 में और संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): नमस्ते योजना के अंतर्गत 4800 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करते हुए सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) को चिह्नित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया गया है न कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को चिह्नित करने के लिए।

(ख): राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 2019 से (31.10.2025 तक) सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई के कारण 471 सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई है और 397 और 19 मृतकों के परिवारों को क्रमशः पूर्ण और आंशिक मुआवजे का भुगतान किया गया है।

(ग): "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" की धारा 7 सीवर और सेप्टिक टैंक की जोखिमपूर्ण सफाई पर रोक लगाती है।

सीवर और सेप्टिक टैंक की जोखिमपूर्ण सफाई की समस्या से निपटने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों में 24-2023 में कार्यान्वयन के लिए (यूएलबी)"राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना(नमस्ते) " योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना तथा (एसएसडब्ल्यू) उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।इसका उद्देश्य स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु दर प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना भी है कि कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में न आए।

सीवर और सेप्टिक टैंकों में व्यक्तिगत प्रवेश से बचने और सीवर और सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई सुनिश्चित करने के लिए नमस्ते योजना के तहत उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

i. आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों के लिए सुरक्षा उपकरण दिए (ईआरएसयू) गए हैं।
ii. स्वच्छता संबंधी मशीन/उपकरण की खरीद के लिए स्वच्छता कर्मियों और निजी स्वच्छता सेवा ऑपरेटरों को अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी दी गई है। (पीएसएसओ)
iv. सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों के लिए पेशागत प्रशिक्षण दिया गया है।
v. सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई को रोकने के संबंध में कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2021 को स्वच्छ भारत मिशन–शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 की शुरूआत की थी। इसमें एक नया घटक अर्थात इस्तेमाल किये हुए पानी का प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) शामिल है, जिसका एक उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंकों में जोखिमपूर्ण प्रवेश को समाप्त करना और सीवर और सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई के बदले मशीन से सफाई किया जाना है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सीवर और सेप्टिक टैंकों की सुरक्षित सफाई के लिए निम्नलिखित परामर्श भी जारी किया है-:

i. सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया ।(एसओपी)
ii. आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाईके ज़रिए सीवर और सेप्टिक (ईआरएसयू) टैंक की सफाई केदौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय हस्तक्षेप का परामर्श।
iii. सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए रेडी रेकनर। (यूएलबी)
iv. सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच करने और उन्हें सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ने के लिए यूएलबी के माध्यम से देश भर में सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों का आयोजन करना।
V. सफाई मित्र सुरक्षित शहर के लिए प्रोटोकॉल जारी किया गया।

(घ): पूर्ववर्ती 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस)' के घटकों को 2023-24 में नमस्ते योजना में शामिल कर लिया गया है और इसके अंतर्गत हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों एवं उनके आश्रितों को प्रदान की गई पुनर्वास सहायता निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**घटक**	**लाभार्थियों की संख्या**
1	एकमुश्त नकद सहायता	58098 (पूर्ण संतृप्ति)
2	कौशल विकास प्रशिक्षण	27928
3	स्वरोजगार परियोजना के लिए पूंजीगत सब्सिडी	2652

(ङ): वर्तमान समय में "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013", (एमएस अधिनियम, 2013) में संशोधन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

******